

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठारीन अधिकारी-श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस

क्रमांक रीडर/2025/ 10/01

दिनांक - 31/12/25

प्रार्थी

बनाग

अप्रार्थीगण

1 हड़मानराम पुत्र किशनाराम निवासी प्रहलादसर, सांजटा तहसील बाडगे ग्रामीण जिला बाडमेर।

1 राजुराम पुत्र जगमालराम 2 खेताराम पुत्र नीग्वाराम 3 पूरो देवी पत्नि गोरधनराम 4 पीराराम 5 शंकराराम 6 मोटाराम पिसरान गोरधनराम 7 रामाराम पुत्र लच्छाराम 8 किस्तुरी देवी पत्नि मुलाराम निवासी प्रहलादसर, सांजटा तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत राजस्व आवेदन संख्या :-520/2025

दिनांक- 23/12/2025

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा प्रहलादसर पटवार हल्का सांजटा तहसील बाडमेर ग्रामीण के खसरा संख्या 142 रकबा 0.0486 हैक्टेयर व खसरा संख्या 921/536 रकबा 1.1771 हैक्टेयर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा

(यशार्थ शेखर)

उपखण्ड अधिकारी
उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर
बाड़मेर

दिनांक- 31/12/25

क्रमांक :- रीडर/2025/ 10/02-05

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी सांजटा तहसील बाडमेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी हड़मानराम पुत्र किशनाराम निवासी प्रहलादसर, सांजटा तहसील बाडगे ग्रामीण जिला बाडमेर।
4. विप्रार्थीगण राजुराम पुत्र जगमालराम वगैराह निवासी प्रहलादसर, सांजटा तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर।

उपखण्ड अधिकारी,
उप खण्ड अधिकारी,
बाड़मेर